



किरम मुकदमा ... प्रौ.पत्रा 136 R-T-M नं. 03 सन 2024

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-24	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 12.3.24 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
12/24	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 16/24 को पेश हो ।</p>	
16/24	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षी का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे शा 0 पठ किया गया । वकील प्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र में श्रेकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की ।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रौ पत्र में दस्तावेज में प्रार्थिया का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पास बुक, जमआधार कार्ड आदि की फोटो प्रति में सही नाम दुर्गा कवर अंकित है । जब कि खाता सं. 60 के राजस्व रिकॉर्ड में बाबू कवर अंकित कर दिया गया है जिसे सही किया जाना व्योथेचित है ।</p> <p>०० आदेश ००</p> <p>प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRACH स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि गाम पारखेड परवार हल्का-चार्केड तहसील माण्डल की जमावेदी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 60 में</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p> 

भाराजी नम्बर 1/2, 1017, 1018/2, 1019/2, 1023/2, 1024/2,  
1053/2, 1478/2, 2/1 कुल किता 09 रकबा कुल 2.0361  
हैपटैयद, भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित खातेदार  
बाबू कवर पुत्री शैलत सिंह राजपूत के बजाय बुर्गा  
कवर पुत्री शैलत सिंह राजपूत किये जाने का  
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार  
राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु  
तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल